



कृषि परिवेश में जैविक प्रमाणीकरण

नसीब चौधरी*, मोनिका देवी** और आरएन श्योकंद**

पिछले 10-15 वर्षों से यह सिद्ध हो चुका है, कि जैविक खेती, विशेषकर सीमांत और छोटे किसानों को, आर्थिक और सामाजिक लाभ पहुंचा रही है। खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के आंकड़ों के अनुसार कई विकासशील देशों (जिसमें भारत भी शामिल है) का बहुत सा कृषि क्षेत्र आज भी परंपरागत खेती पर ही निर्भर है और यह रासायनिक पदार्थों से मुक्त है। ऐसे क्षेत्रों को जैविक खेती के लिये उपयोग में लाना और उनके उत्पादों का विपणन करना जरूरी है। इसके लिये जैविक उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिये जैविक प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। आज का उपभोक्ता अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूक है। वह स्वयं व अपने परिवार को पोषक भोजन देना चाहता है। इसलिये वह जैविक उत्पादों के लिये अच्छे दाम भी देने के लिये तैयार है। बस जरूरत है, तो सही जैविक प्रमाणीकरण की। यह इसलिए कि जैविक किसानों और उपभोक्ताओं के बीच विश्वास बना रहे। जैविक प्रमाणीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत मान्यता प्राप्त जैविक प्रमाणीकरण संस्थाओं द्वारा जैविक उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं जैसे-उत्पादन, प्रसंस्करण, भण्डारण आदि का राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय जैविक मानकों के आधार पर निरीक्षण किया जाता है। इसके उपरांत किसानों को 'प्रमाणित जैविक खेती/उत्पाद' का प्रमाण पत्र दिया जाता है। जैविक उत्पाद उगाने वाला किसान 'प्रमाणित जैविक उत्पादक किसान' कहलाता है।

भारत एक ऐसा देश है, जिसने विश्वसनीय थर्ड पार्टी प्रमाणीकरण प्रणाली को विकसित किया है। देश में जैविक खेती का प्रमाणीकरण वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत 'द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन' (एनपीओपी) द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

एनपीओपी को वर्ष 2000 में जैविक उत्पादों के निर्यात के लिये स्थापित किया गया था। यह वर्ष 2006 से जैविक उत्पादों

की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। एनपीओपी (इंडिया ऑर्गेनिक) भारतीय लोगों को मान्यता के लिये जैविक उत्पादन, प्रणाली, मापदंड और प्रक्रिया के लिये मानक प्रदान करता है। लगभग ऐसी 30 प्रमाणीकरण संस्थाएं हैं, जो जैविक उत्पादों को 'थर्ड पार्टी' प्रमाणीकरण के अन्दर प्रामाणिकता प्रदान करती हैं। इनमें एसपीएस, इकोसर्ट, आइसर्ट, लेकोन आदि प्रमुख हैं। वर्ष 2008 तक लगभग 8.65 लाख हैक्टर क्षेत्र, जिससे 7 लाख किसान जुड़े हैं, इस प्रणाली के अंदर प्रामाणिक हो चुके हैं। पहले जैविक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया व्यक्तिगत रूप से शुरू हुई, परंतु एक व्यक्ति

द्वारा अपने खेत का प्रमाणीकरण करवाने में काफी खर्चा आता था। इस व्यय को कम करने लिये वर्ष 2012 में भारत सरकार द्वारा 'पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम (पीजीएस) को स्थापित किया, जिससे प्रक्रिया की जटिलता और व्यय को कम किया जा सके। इसमें कोई भी अनुभवी संस्था/संस्थान पीजीएस के अन्तर्गत किसानों को समूह में प्रमाणीकरण दिलाने में सहयोग कर सकता है।

प्रमाणीकरण

प्रमाणीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज तैयार करने के बाद किसान या समूह का मुखिया प्रमाणीकरण हेतु अपने विकास खंड

*कृषि अर्थशास्त्र विभाग; **गणित और सांख्यिकी विभाग, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार (हरियाणा)

के सहायक खंड विकास अधिकारी (कृषि), मास्टर जैविक प्रशिक्षक जो कि खंड स्तर पर कार्यरत हो अथवा जैविक प्रमाणीकरण संस्थाओं से सम्पर्क कर सकता है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का स्वरूप

सामान्यतः किसी भी संस्था को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की स्थापना करने तथा उसके क्रियान्वयन करने हेतु निम्नलिखित कुशल एवं अनुभवी कार्मिकों की आवश्यकता होती है।

समूह प्रबंधक/गुणवत्ता नियंत्रक

यह आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का प्रमुख पद है। इसमें संबंधित संस्था के अंतर्गत जैविक कृषकों के प्रमाणीकरण एवं जैविक उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना होता है। इसके लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की स्थापना कर उसके सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु इस प्रणाली के नियमों, मानकों को परिभाषित किया जाता है।

आंतरिक निरीक्षक

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में आंतरिक निरीक्षक की केन्द्रीय भूमिका है। ये निरीक्षक



हरितगृह में जैविक उत्पादन

समूह द्वारा नियत होते हैं व प्रत्येक कृषक के खेत, भंडारगृह, गौशाला व दस्तावेजों का शत-प्रतिशत अध्ययन करते हैं।

अनुमोदक कर्मचारी

आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली द्वारा सम्पन्न कराये जा रहे आंतरिक निरीक्षण के

परिणामों तथा अन्य गतिविधियों के अनुमोदन हेतु एक समिति का गठन किया जाता है, जिसे 'जैविक अनुमोदन समिति' कहते हैं।

प्रसार कार्यकर्ता

प्रसार कार्यकर्ता जैविक कृषि प्रक्षेत्रों में ही रहते हैं। वे नियमित रूप से कृषि भूमि पर जाते हैं व कृषकों को जैविक कृषि संबंधी आवश्यक सलाह एवं सहायता प्रदान करते हैं।

किसान स्तरीय दस्तावेज

इन दस्तावेजों का रखरखाव कृषकों द्वारा किया जाता है। यदि कृषक ऐसा करने में असमर्थ हो, तो प्रणाली के संचालक को उसके दस्तावेज तैयार करवाने में उसकी सहायता करनी चाहिये।

जैविक किसान डायरी

समस्त किसानों को एक सादी डायरी में या खासतौर पर समूह द्वारा तैयार डायरी में खेती के कामों से जुड़ी जानकारीयाँ अंकित करनी होती हैं। डायरी स्वयं किसान द्वारा या समूह के किसी व्यक्ति द्वारा भरी जाती है।

जैविक उपसमूह फार्म फाइल (कृषि क्षेत्र प्रपत्र)

यह दस्तावेज प्रसार कार्यकर्ता द्वारा भरा जाता है। इस दस्तावेज में उपसमूह के खेतों का वृहद् मानचित्र भी बनाया जाता है। समूह



जैविक पद्धति से उत्पादित मशरूम

आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली

जैविक उत्पाद के समूहों में प्रमाणीकरण हेतु आंतरिक मानकों के गठन, उनके जोखिमों के आंकलन, उनको नियंत्रित करने के लिये किसी संस्था/संस्थान द्वारा गुणवत्ता से युक्त एक प्रणाली का गठन किया जाता है, जिसे आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली कहते हैं। यह आईएफओएम और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के विचार-विमर्श के बाद जैविक प्रमाणीकरण के लिये नियमों को बनाती है। इस प्रणाली के अनुसार समूह प्रमाणीकरण हेतु मुख्य मानक निम्न हैं:

- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का विस्तृत अभिलेख मौजूद हो
- प्रबंधन ढांचे के दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिये
- समूह के एक व्यक्ति को प्रबंधक के रूप में कार्य करना होगा
- एक आंतरिक नियमावली (उत्पादन, मानक, कन्वर्जन नियम, बदलाव के नियम, दंड के नियम आदि) तय होनी चाहिये, जिसकी जानकारी सभी सदस्यों को हो
- जैविक खेती में बदली जाने वाली जमीन की कन्वर्जन नियमावली (पारंपरिक खेती, खेत का इतिहास इत्यादि) तय होनी चाहिये
- समूह एवं प्रमाणीकरण संस्था के बीच अनुबंध के पूर्ण दस्तावेज मौजूद हों
- समूह द्वारा नियंत्रण प्रक्रियाओं हेतु आंतरिक इंस्पेक्टर चयनित होना चाहिये
- संचालक मंडल जैसे-प्रबंधक, इंस्पेक्टर तथा किसान को प्रशिक्षित होना चाहिये
- समूह के किसानों के अनुबंध पत्र के दस्तावेज मौजूद हों
- प्रत्येक किसान के खेत का रिकॉर्ड व नक्शा होना चाहिये
- वार्षिक निरीक्षण के मानक/ आवश्यकताएं पूर्ण रूप से तय होनी चाहिये
- किसान निरीक्षण रिकॉर्ड/ प्रपत्र मौजूद होने चाहिये
- एक एप्रूवल कमेटी का गठन होना चाहिये, जिसे सदस्य को समूह में जोड़ने व निकालने का अधिकार हो
- किसान-समूह की पूरी सूची उपलब्ध हो
- आंतरिक कमियों के सुधार व निस्तारण की प्रक्रियाएं स्पष्ट हों
- फसल कटने के बाद की उत्पादन चक्र प्रक्रिया, प्रोडक्ट पत्रों व उत्पादित मात्रा के दस्तावेज मौजूद हों

के सभी किसानों के खेतों व वहां जाने वाले रास्ते का मानचित्र तथा जैविक व रासायनिक खेतों का मानचित्र भी बनाया जाता है। निरीक्षण के दौरान निरीक्षक द्वारा इसका बारीकी से अध्ययन किया जाता है।

आंतरिक निरीक्षण

आंतरिक निरीक्षण के अंतर्गत पंजीकृत शत-प्रतिशत कृषकों का प्रत्येक फसलचक्र में दो आंतरिक निरीक्षण किया जाना आवश्यक होता है। आंतरिक निरीक्षण, फसल उत्पादन की उस अवस्था में किया जाता है, जिस समय संबंधित मानकों के सापेक्ष अनुपालन के खतरे सबसे अधिक होते हैं। सामान्यतः अवस्थाएं फसल की बुआई/रोपाई अथवा कटाई या जब फसलों पर रोग एवं कीट का प्रकोप सबसे अधिक होता हो, के समय होती हैं।

बाह्य निरीक्षण

आंतरिक निरीक्षण की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात प्रणाली के अंतर्गत पंजीकृत कृषक समूहों को जैविक उत्पाद हेतु प्रमाण-पत्र दिलाने के लिये यह आवश्यक है कि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली का मूल्यांकन किसी बाह्य प्रमाणीकरण संस्था से करवाया



जैविक खेती का बढ़ता चलन

जाये। बाह्य निरीक्षण प्रमाणीकरण संस्था कई बार अनेक तरह के प्रश्न पूछती हैं, जिनका सही जवाब देना चाहिये। ये खेत की मृदा व उत्पाद के नमूने जमा करते हैं। किसान सदस्यों को इस प्रक्रिया में सहयोग देना चाहिये। इससे कार्यप्रणाली का निरीक्षण कर प्रमाणीकरण संस्था को प्रमाण-पत्र जारी करने की सिफारिश की जा सके।

जैविक उत्पादों की बाजार व्यवस्था

जैविक उत्पाद को खेत से खाने की मेज तक पहुंचाने में कई प्रक्रियाओं (अन्न को जमा करना, कटाई के बाद का प्रबंधन, अनाज की सफाई व पैकेजिंग, विपणन आदि) से गुजरना होता है। प्रत्येक प्रक्रिया में उत्पाद की गुणवत्ता व उसे पूरी तरह जैविक बनाये

रखना उत्पादक व पूरे समूह की जिम्मेदारी के साथ-साथ एक बड़ी चुनौती भी होती है। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व स्थानीय बाजार में जैविक उत्पादों की बड़ी मांग है। किसान अपनी खेती व उसके उत्पादों को पूरी तरह जैविक बनाकर उनका अच्छा दाम प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर कर सकते हैं।

ट्रेसनेट

एपीडा द्वारा वर्ष 2010 से ट्रेसनेट व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके लिए इंटरनेट की सहायता से समूह के सभी किसानों के खेत से भंडारण तक की सभी जानकारीयां कम्प्यूटर द्वारा एक निश्चित प्रोग्राम के हेतु भरी जाती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है, क्योंकि उत्पादन संबंधी सारी जानकारीयां आसानी से उपलब्ध हों व ट्रेसनेट के तहत समूह के पंजीकरण से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने तक की सारी कार्यवाही इंटरनेट से प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार जैविक प्रमाणीकरण प्रणाली के माध्यम से छोटे किसान भी अपने जैविक उत्पादों को बाजार में उचित दाम पर बेच सकते हैं तथा समुचित लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

जैविक उत्पादों की मांग पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रही है, परन्तु उस अनुपात से जैविक उत्पाद पैदा नहीं हो रहे हैं। विश्व में जैविक खेती उत्पादकों के मामले में भारत अभी प्रथम स्थान पर है और जैविक क्षेत्र के मामले में विश्व में 9वें स्थान पर है। भारत के जैविक कृषि उत्पादों की मांग यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैण्ड, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, दक्षिणी-पश्चिमी एशियाई देशों, मध्य पश्चिमी और दक्षिणी अफ्रीका में अधिक है। भारत वैश्विक स्तर पर जैविक उत्पादों का निर्यातक बन सके, इसके लिये बेहद जरूरी है कि किसान जैविक खेती प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को लेकर जागरूक बनें और सेहत के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के भी भागीदार बनें।

जैविक प्रमाणीकरण हेतु मानक

- अपने खेतों में केवल पारंपरिक बीजों का प्रयोग करना होगा। अगली फसल के लिये अपने खेतों के बीज बचाने होंगे। किसी भी प्रकार के संकर या जैव-यांत्रिक बीजों का प्रयोग मान्य नहीं है।
- खेत में किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थ/उर्वरक/कीटनाशक अथवा बाहरी अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग वर्जित है।
- जैव-विविधता पर आधारित मिश्रित जैविक खेती करते हुए जैव-विविधता बढ़ानी होगी तथा फसलचक्र का अनुसरण करना होगा।
- पानी एवं मृदा के संरक्षण एवं सतत प्रयोग पर विशेष ध्यान देना होगा। मृदा का क्षरण रोकने व पोषकता बढ़ाने हेतु विशेष प्रयास करने होंगे।
- खेती में सिंचाई नलकूप, झरना, प्राकृतिक स्रोत व वर्षा के पानी से मान्य होगी। किसी भी प्रकार के प्रदूषित पानी का प्रयोग वर्जित होगा।
- पानी एवं मृदा का दुरुपयोग एवं पशुओं के साथ अनैतिक व्यवहार अमान्य होगा।
- खेतों में मृदा की पोषकता बढ़ाने हेतु केवल पूर्णतः सड़ी हुई गोबर, कम्पोस्ट खाद, वर्मीकम्पोस्ट, वर्मीवाश का प्रयोग ही मान्य है। किसी भी प्रकार की आधी सड़ी-गली खाद व कचरे का प्रयोग वर्जित है।
- जैविक उत्पाद का भंडारण केवल राष्ट्रीय जैविक मानकों द्वारा मान्य बर्तनों व थैली में होना चाहिए।
- खेत में पॉलीथीन अथवा अन्य किसी भी प्रकार के जैविक/अजैविक कचरे को जलाना निषिद्ध है।
- खेती के दौरान किसी भी प्रकार का प्रदूषण पूर्णतः वर्जित है। उदाहरण के लिये पास में मल-मूत्र का रिसाव, रासायनिक खेतों का जल बहाव इत्यादि।
- लगातार तीन वर्ष पूर्णतः जैविक खेती करने पर ही खेत पूर्ण जैविक माना जायेगा।